IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

लैंगिक समानता और समग्र विकास

डॉ. सुधीर सिंह गौर
सहायक प्राध्यापक
विधि विभाग
कौशलेन्द्र राव पी. जी. विधि महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.), भारत

Abstract: लैंगिक समानता एक मानवाधिकार है जो सभी व्यक्तियों को उनके लिंग की परवाह किए बिना सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार देता है जिससे समाज का समग्र विकास होता है । सर्वांगीण विकास और गरीबी कम करने के लिए लैंगिक समानता भी एक पूर्व शर्त है। सशक्त महिलाएँ पूरे परिवारों और समुदायों की स्वास्थ्य स्थितियों, शैक्षिक स्थिति और उत्पादकता में सुधार के लिए अमूल्य योगदान देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अगली पीढ़ी के लिए संभावनाओं में सुधार होता है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर देता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण विकास के परिणाम प्राप्त करने के लिए मूलभूत आधारशिला हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति और उसके निर्धारकों को ध्यान में रखते हुए, इस पेपर में हमारे देश में मौजूद असमानताओं के कुछ प्रमुख निर्धारकों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ताकि यह पता चल सके कि महिलाएं किस हद तक सशक्त हैं और उनके जरिये समग्र विकास निश्चित होता है।

Keywords: लैंगिक समानता, सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी, समग्र विकास

परिचय

लैंगिक समानता तभी हासिल होगी जब महिला और पुरुष जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर, अधिकार और दायित्व का आनंद लेंगे और तभी समग्र विकास निश्चित होगा । इसका मतलब है समान रूप से शक्ति और प्रभाव को साझा करना तथा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अवसर होना । शिक्षा और कैरियर की संभावनाओं पर समान दावा महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में सक्षम बनाता है । लैंगिक समानता महिलाओं के सशक्तिकरण की मांग करती है, जिसमें शक्ति असंतुलन की पहचान करने और उसका निवारण करने और महिलाओं को अपने जीवन का प्रबंधन करने के लिए अधिक स्वायत्तता देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो पूरे परिवार को लाभ होता है, इस प्रकार समग्र रूप से समाज को लाभ होता है और इन लाभों का प्रभाव अक्सर भावी पीढ़ियों पर पड़ता है।

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1210 मिलियन है जिसमें 58,64,69,174 (48.5%) महिलाएँ हैं जबकि 1951 में यह 361 मिलियन थी । भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है जोकि दूसरे स्थान पर है। 1971 में लिंगानुपात 930 था और 2011 की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर 940 हो गया है। महिला साक्षरता भी 1961 में 18.3% थी जो 2011 में बढ़कर 74.0% हो गई I पुरुष-महिला साक्षरता अंतर 1981 में 26.6% से घटकर 2011 में 16.7 प्रतिशत हो गया। भारत में महिला सशक्तिकरण कई अलग-अलग कारकों पर निर्भर करता है जिसमें सामाजिक, शैक्षिक, उम्र तथा भौगोलिक कारक शामिल हैं I स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, लिंग आधारित हिंसा और राजनीतिक भागीदारी सहित कई क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर नीतियां मौजूद हैं। शुरू की गई योजनाओं का दायरा बढ़ा है जिसमें महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता हासिल करने की पहल शामिल है। वर्तमान में निम्नलिखित योजनाओं का लक्ष्य भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाकर समग्र विकास करना है:

1. एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)
2. किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना
3. कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना।
4. एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)
5. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता
6. धनलक्ष्मी
7. अल्पावास गृह
8. स्वाधार
9. उज्ज्वला

उपरोक्त सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के बावजूद, सामुदायिक स्तर पर नीतिगत उपलब्धियों और वास्तविक अभ्यास के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में पाया गया कि भारत महिलाओं के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में देश की रैंकिंग 2012 में 105, 2016 में 87 थी जो थोड़ा बढकर 2023 में 127 हो गयी I

वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लड़कियों और लड़कों के बीच समानता के स्तर को समझना।
2. लैंगिक समानता और आर्थिक भागीदारी और अवसर में महिलाओं की हिस्सेदारी जानना
3. लैंगिक समानता और संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच की पहचान करना
4. राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की जांच करना।

अनुसंधान क्रियाविधि

वर्तमान अध्ययन के प्रयोजन के लिए द्वितीयक स्रोतों से डेटा एकत्र किया गया है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि की रिपोर्टों और दस्तावेजों और विभिन्न अन्य प्रकाशनों सहित पत्रिकाओं, पत्रिकाओं से एकत्र किया जाता है।

विश्लेषण और परिणाम

लैंगिक समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन, अस्तित्व और शिक्षा के उच्च स्तर पर संक्रमण से शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल होती है। 2018-19 से 2022-23 के दौरान, शिक्षा में लैंगिक समानता की दिशा में पर्याप्त प्रगति हासिल की गई है, जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों से पता चलता है।

लैंगिक समानता सूचकांक

वर्ष	प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	उच्च शिक्षा
2018-19	1.1	0.90	0.88
2019-20	1.1	0.95	0.90
2020-21	1.2	0.96	0.92
2021-22	1.3	1.0	0.93
2022-23	1.3	1.02	0.93

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट

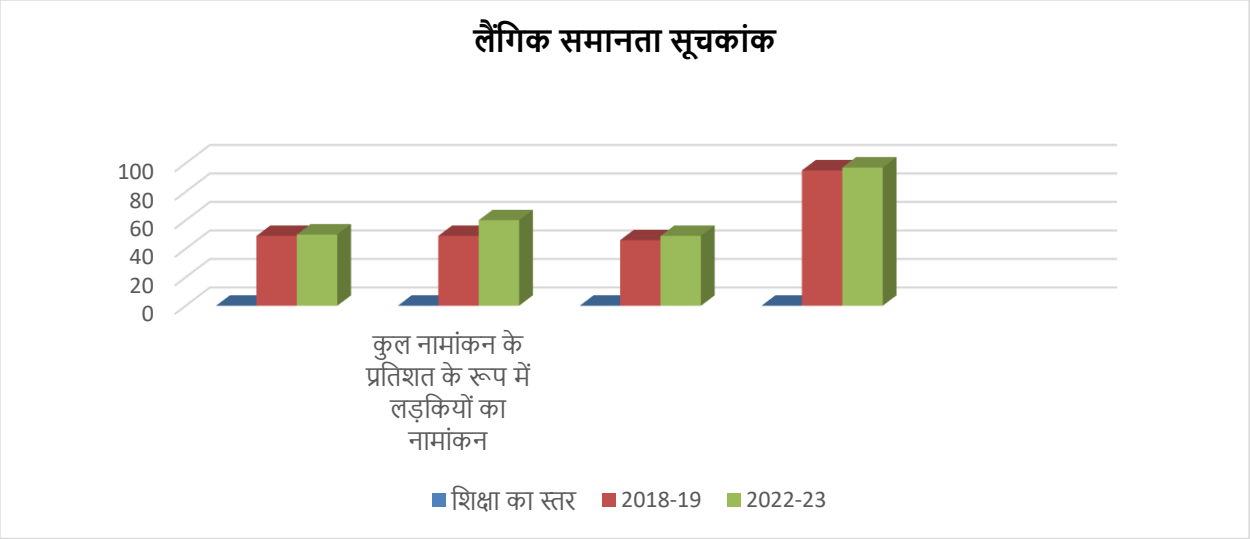

उपरोक्त तालिका और चार्ट से यह देखा जा सकता है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन महिलाओं के लिए अनुकूल है क्योंकि जीपीआई 1 के स्तर को पार कर गया है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तरों में भी लैंगिक समानता की दिशा में हाल के दिनों में तेजी से प्रगति देखी गई है।

लड़कियों का स्तरवार शैक्षिक नामांकन

सूचक	**शिक्षा का स्तर**	**2018-19**	**2022-23**
कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में लड़कियों का नामांकन	प्राथमिक शिक्षा (कक्षा I-V)	49	50
	उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा VI-X)	49	60
	माध्यमिक (IX -X) और उच्चतर माध्यमिक (XI-XII) शिक्षा	46	49
नामांकित प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या	प्राथमिक शिक्षा (कक्षा I-V)	95	97
	उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा VI-X)	91	98
	माध्यमिक शिक्षा	85	94
	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	82	92
	उच्च शिक्षा	80	86

स्रोत: शैक्षिक सांख्यिकी एक नजर में 2014, मानव संसाधन मंत्रालय

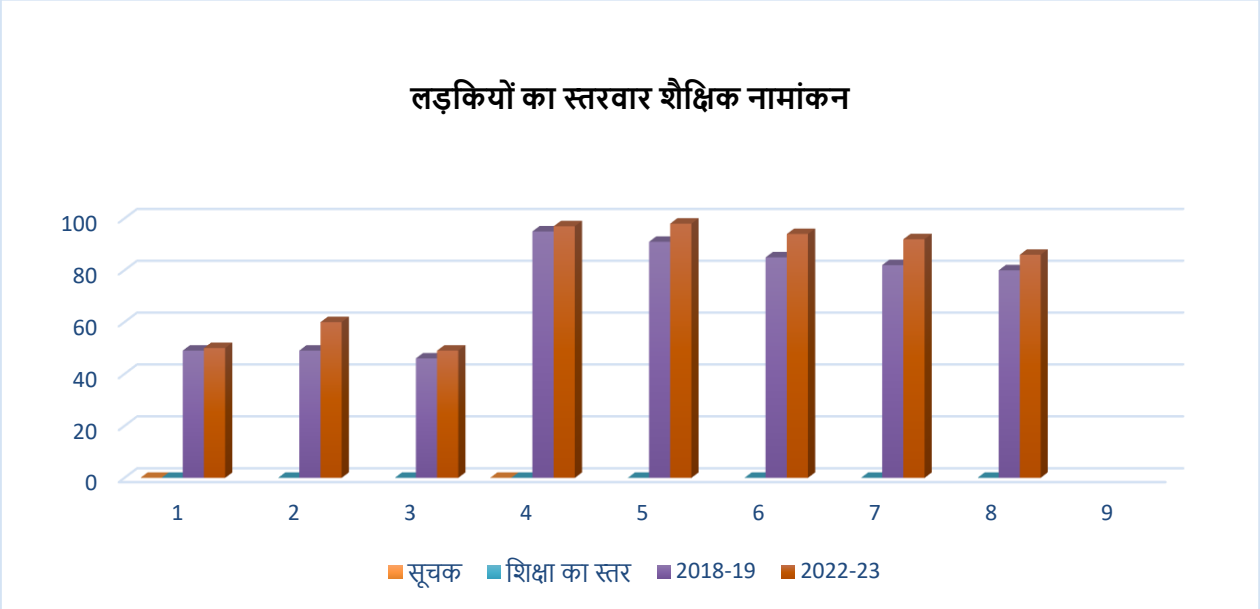

उपरोक्त तालिका और चार्ट से यह देखा जा सकता है नामांकित प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के संदर्भ में साक्षरता दर दर्शाती है कि 2018-19 से 2022-23 तक की अध्ययन अवधि के दौरान, शिक्षा के सभी स्तरों पर उल्लेखनीय प्रगति की पहचान की गई है। यह कहा जा सकता है कि अध्ययन अवधि के दौरान उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में 8 से 10% की वृद्धि दर्ज की गई है I

लैंगिक समानता और आर्थिक भागीदारी में महिलाओं की हिस्सेदारी-

श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी को घटते भेदभाव और महिलाओं के बढ़ते सशक्तिकरण के संकेत के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्यबल का नारीकरण भी समाज में महिलाओं के अवसरों और स्थिति में सुधार का एक संकेत है। रोज़गार में महिलाओं की हिस्सेदारी यह मापती है कि उद्योग और सेवा क्षेत्रों में महिलाओं के लिए श्रम बाज़ार किस हद तक खुले हैं। जो न केवल महिलाओं के लिए समान रोजगार के अवसर को प्रभावित करता है बल्कि श्रम बाजार में लचीलेपन के माध्यम से आर्थिक दक्षता को भी प्रभावित करता है और महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में आर्थिक कारकों को दर्शाता है।

वर्ष	श्रम बल भागीदारी दर	नियमित वेतन और वेतनभोगी श्रमिकों का हिस्सा
2018-19	47.0	12.4
2019-20	42.7	12.8
2020-21	38.6	13.7
2021-22	38.2	15.9
2022-23	40.0	20.0

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

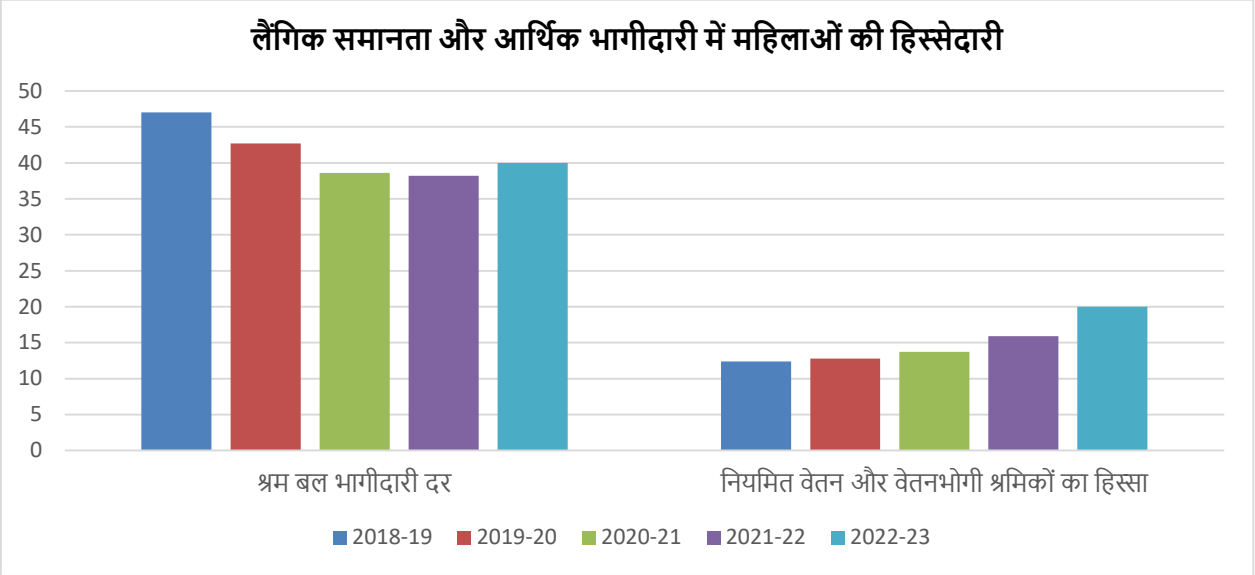

महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर कम है और यहाँ पर एक बड़ा लैंगिक अंतर बना हुआ है। जो 2018-19 से 2022-23 के दौरान 47% प्रतिशत से गिरकर 40% प्रतिशत हो गई है। अध्ययन अवधि के दौरान नियमित वेतन और वेतनभोगी श्रमिकों की हिस्सेदारी में महिलाओं की हिस्सेदारी 12% से बढ़कर 20% प्रतिशत हो गई है।

गतिशीलता और निर्णय लेना

शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के अलावा, महिलाओं की गतिशीलता और सामाजिक संपर्क में बदलाव, निर्णय लेने में भागीदारी भी आवश्यक है। एनएसएस 68वें दौर (2011-2012) के अनुमान के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला मुखिया वाले परिवारों का अनुपात क्रमशः 11.5% और 12.4% था। आज भी बहुत कम प्रतिशत भारतीय महिलाओं को घरेलू निर्णय लेने, अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने और घर से बाहर जाने की आज़ादी है। इसके अलावा, अधिकांश भारतीय समुदायों में महिलाओं को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि वे कितने बच्चे पैदा करेंगी। इसके अलावा, एक महिला को अपने पति की कमाई और यहां तक कि अपनी खुद की कमाई को भी अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार खर्च करने की आजादी नहीं है।

सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लैंगिक समानता

सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधिमूलक बनाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी आवश्यक है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है और लैंगिक संवेदनशील निर्णय लेने में योगदान देता है। जहां तक राजनीतिक भागीदारी का सवाल है, भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) के नवीनतम आँकड़े के अनुसार: अक्तूबर 2021 तक महिलाएँ संसद के कुल सदस्यों के 10.5% का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। भारत में सभी राज्य विधानसभाओं को एक साथ देखें तो महिला सदस्यों (विधायकों) की स्थिति और भी बदतर है, जहाँ राष्ट्रीय औसत मात्र 9% है। आज़ादी के पिछले 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% तक भी नहीं बढ़ा है। चुनावी प्रतिनिधित्व के मामले में भारत, अंतर-संसदीय संघ की संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या के मामले में वैश्विक रैंकिंग में कई स्थान नीचे आ गया है जिसमें वर्ष 2014 के 117वे स्थान से गिरकर जनवरी 2020 तक 143वे स्थान पर आ गया।

हालाँकि, पंचायती राज संस्थानों के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित होने के कारण 2022-23 तक में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़कर 50% हो गया है। जहां तक न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का सवाल है, देश के सर्वोच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों में मौजूद न्यायाधीशों में महज 11 प्रतिशत महिलाएँ हैं I

महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए निपटाए जाने वाले मुद्दे

उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि भारत में महिलाओं के साथ समाज के हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है, चाहे वह सामाजिक भागीदारी, आर्थिक अवसर और आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा तक पहुंच या संसाधनों तक पहुंच आदि हो। हालाँकि भारत में महिला समानता और सशक्तिकरण के नाम पर बहुत काम किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी वास्तविक स्थिति जस की

तस बनी हुई है और कई मामलों में तो और भी बदतर हो गई है। गहरी जड़ें जमा चुकी प्रणालीगत चुनौतियों का अभी भी समाधान किया जाना बाकी है। भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित हैं जिनसे निपटा जाना चाहिए

1. शिक्षा और शैक्षिक उपलब्धि, लैंगिक समानता प्राप्त करने के मार्ग का प्रमुख तत्व हैं। लैंगिक-संवेदनशील शैक्षिक प्रणाली बनाने, लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण दरों को बढ़ाने और महिलाओं द्वारा जीवन भर सीखने के साथ-साथ व्यवसाय और तकनीकी कौशल के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए।
2. बाल विवाह को रोकने के लिए वैसे तो हमारे देश में कानून हैं लेकिन यह अभी भी हमारे देश के कई समाजों में प्रचलित है, इसको शक्ति से रोका जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम उम्र में महिलाओं की शादी समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति का एक संकेतक है और इससे महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच भी कम हो जाती है।
3. एक महिला को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की आवश्यकता है ताकि वह समानता की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके। महिलाओं को व्यापक, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच मिलनी चाहिए।
4. कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए कृषि और अन्य संबद्ध व्यवसायों में महिलाओं को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए।
5. वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर उचित वेतन और काम दिया जाना चाहिए ताकि समाज में उनका दर्जा ऊंचा हो सके।
6. समाज से महिला हिंसा को खत्म करने के विशेष कदम उठाये जाने चाहिए । सख्त कानूनों और विधानों के अलावा, परिवार, समाज और समाज की महिला सदस्यों के दृष्टिकोण में बदलाव के माध्यम से ही इससे निपटा जा सकता है, इसके लिए ठोष कदम उठाये जाने चाहिए ।
7. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को महिला समानता और सशक्तिकरण का एक प्रमुख पैमाना माना गया है। भारत में विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसलिए लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राज्य परिषदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।
8. इसके अलावा, महिला समानता तब तक नहीं आ सकती जब तक महिलाएं स्वयं एकजुट खुद होकर को सशक्त बनाने का निर्णय नहीं लेतीं। महिलाओं को एक एकीकृत शक्ति के रूप में एक साथ आना चाहिए और जमीनी स्तर पर आत्म-सशक्त कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

निष्कर्ष

चूंकि महिलाएं भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, उनकी भागीदारी, समानता और सशक्तिकरण के बिना न तो समग्र विकास हो सकता और न ही आर्थिक प्रगति संभव है । आर्थिक विकास को वास्तव में समावेशी बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे देश और उससे भी आगे, सतत आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अभी भी महिलाओं के एक बड़े हिस्से को अपने जीवन के लिए मूल्य और विकल्पों के संबंध में पर्याप्त स्वायत्तता नहीं है। आंकड़ों से यह भी पता चला कि आर्थिक संसाधनों या भौतिक समृद्धि से परे सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो महिलाओं की स्वायत्तता और सशक्तिकरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार के साथ-साथ नागरिक समाज, संगठनों और अन्य सभी हितधारकों को आगे आकर, महिला समानता और सशक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए जिससे सम्पूर्ण देश का समग्र विकास संभव हो सके है।

संदर्भ

1. डॉ. मनोज वर्गीस, सौरभ गुहा, अनुराग अग्रवाल (2016), 2016 में महिला सशक्तिकरण का परिदृश्य: भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यवसाय में इसकी भूमिका, इंजीनियरिंग और अनुसंधान में हालिया रुझानों का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, खंड 02, अंक 11

2. नेहा एलिजाबेथ (2015) "भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना।" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी वॉल्यूम। 5, नंबर 1
3. मुक्तज़ुर रहमान काज़ी (2015) "समावेशी विकास के संदर्भ में भारत में महिलाओं की स्थिति।" आईओएसआर जर्नल ऑफ़ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस (आईओएसआर-जेएचएसएस) वॉल्यूम 20, अंक 4
4. डॉ. बी. नागराजा (2013) भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण, आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, खंड 9, अंक 2
5. विल्सन, पी. (1996) सशक्तिकरण: अंदर से बाहर तक सामुदायिक आर्थिक विकास। शहरी अध्ययन, 33(4-5), 617-630।
6. मल्होत्रा अंजू, सिडनी रूथ श्यूलर और कैरोल बोएन्डर (2002) अंतर्राष्ट्रीय विकास में एक चर के रूप में महिला सशक्तिकरण को मापते हुए, विश्व बैंक सामाजिक विकास समूह।
7. भारत सरकार, मानव विकास रिपोर्ट (2016)।
8. सुनीता किशोर और कमला गुप्ता (2009) भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण।
9. भारत सरकार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (4), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation